न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 01/2019

बउनवान

1. जानकीलाल पुत्र छगनलाल जाति जाटव निवासी बड़वा
2. रामस्वरूप पुत्र छगनलाल जाति जाटव निवासी बड़वा तहसील अन्ता जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1. महेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
2. शम्भूदयाल उम्र 38 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
3. धन्नीबाई उम्र 32 वर्ष पुत्री श्री रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
4. संतोष बाई उम्र 30 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
5. रेखा बाई उम्र 28 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
6. रतनी बाई उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व. रामदयाल जाति गुसाई निवासी बैंगना
7. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील विरूद्ध इन्तकाल कमांक 2430 दिनांक 30.07.2018 ग्राम बड़वा तह0 अन्ता

उपस्थिति :— 1. श्री बृजकिशोर शर्मा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री भगवान प्रसाद दाधीच अभि0 **(रेस्पो. कम—2 ता 6)**
3. श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (रेस्पो. कम—1)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 30.09.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बड़वा तहसील अन्ता ने खाता कमांक 652 में ख0नं0 960 रकबा 1.85 है. भूमि स्थिति है जो माफी पुण्यार्थ माधोपुरी चेला किशनपुरी साकिन बैंगना के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि दिनांक 23.8.1954 को रिज्युम हो गयी थी, जिसके पश्चात दिनांक 29.6.1965 को भूमि खातेदार माधोपुरी ने उक्त भूमि विवादित प्रतिफलस्वरूप 700/— रूपये प्राप्त कर भीमा व छगनलाल को बेचान कर क[illegible]ान बाबत विकय पत्र लेखबद्ध कर गवाही गवाहान करा दिये। माधोपुरी क[illegible]हो चुका है तथा भीमा व छगनलाल का भी देहान्त हो चुका है। [illegible] उत्तराधिकारी व कायम मुकामान है तथा भीमा व छ[illegible]दित आराजी को अपने जीवनकाल मे काश्त किया तथा 1975 में उनकी मृत्युपरान्त [illegible]पीलान्ट्स उक्त आरा[illegible] बहैसियत खातेदार काश्त कर रहे है तथा कडला पिलाई अदा कर रहे है। गिरदाव[illegible]त् 2028 से 2031 मे इसका उल्लेख है। अपीलांट्स ने अपने अधिकारों की घोषणार्थ अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0टी0ए0 के तहत न्यायालय उप जिला कलक्टर अन्ता के यहां एक वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

दायर किया हुआ है जो जैरकार है। रेस्पो0 1 ता 6 ने फर्जी एवं बनावटी व कूटरचित दस्तावेज गोदनामा तारीखी 21.02.1952 को आधार बनाकर माधोपुरी का दत्तक पुत्र रामनाथ को बताते हुए रामनाथ की मृत्यु माधोपुरी के जीवनकाल में हो जाने से रामनाथ के पुत्र रामदयाल को गोद पुत्र बनाकर समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक होना बताया है, उक्त दस्तावेज के आधार पर रेस्पो0 कम 7 ने उक्त इंतकाल नंबर 2430 दिनांक 30.07.2018 खोलकर उक्त आराजी का अंकन अपी0 के नाम राजस्व रिकार्ड में कर दिया है जो गैरकानूनी हैं। उक्त दस्तावेज दिनांक 21.02.1952 को लेखबद्ध किया गया था एवं स्व0 माधोपुरी जिसकी मृत्यु सन् 1965 में हुई थी करीब 60 वर्ष बाद उसके उत्तराधिकारी का गोद पुत्र के रूप में नाम दर्ज किया जाना कतई गैरकानूनी है। उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से षड़यंत्रपूर्वक उक्त फर्जी बनावटी दस्तावेज गोदपुत्र तैयार कर उसके आधार पर गैरकानूनी रूप से अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छुपाकर इन्तकाल अपने नाम खुलवा लिया है जो निरस्तनीय है एवं रामदयाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2011 को होने के 9 वर्ष बाद उसके वारिसान के रूप में म्यूटेशन खोला जाना सन्देह प्रकट करता है। अतः नामान्तरकरण संख्या 2430 दिनांक 30.07.2018 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट कम–1 ता 6 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर दिनांक 07.12.2020 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

दौराने बहस दिनांक 2.09.2021 को अभिभाषक रेस्पो. कम–1ता 6 अनुपस्थित रहे तथा आज भी अनुपस्थित है। रेस्पों. कम–1 की ओर से श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक का वकालत नामा पेश हुआ।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोंडेंट कम–1 की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम बड़वा तहसील अन्ता ने खाता कमांक 652 में ख0नं0 960 रकबा 1.85 है. भूमि स्थिति है जो माफी पुण्यार्थ माधोपुरी चेला किशनपुरी साकिन बैंगना के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि दिनांक 23.8.1954 को रिज्युम हो गयी थी, जिसके पश्चात दिनांक 29.6.1965 को भूमि खातेदार माधोपुरी ने उक्त भूमि विवादित प्रतिफलस्वरूप 700/– रूपये प्राप्त कर भीमा व छगनलाल को बेचान कर कब्जा सौप दिया तथा उक्त बेचान बाबत विकय पत्र लेखबद्ध कर गवाह गवाहान करा दिये। माधोपुरी का देहान्त हो चुका है तथा भीमा व छगनलाल का भी देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट्स उसके वारिस एवं विधिक उत्तराधिकारी व कायम मु[illegible] है तथा भीमा व छगनलाल ने उक्त विवादित आराजी को अपने जीवनकाल मे काश्त किया तथ[illegible] में उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट्स उक्त आराजी को बहैसियत खातेदार [illegible] रहे [illegible] तथा कड़ता पिलाई अदा कर रहे है। [illegible] अपीलांट्स ने अपने अधिकारों की गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031 में इंद्राज [illegible] के तहत न्यायालय उप जिला कलक्टर घोषणार्थ अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0टी0ए0 [illegible] जो जैरकार है। रेस्पो0 1 ता 6 ने फर्जी एवं अन्ता के यहां एक वाद दायर किया हुआ [illegible] जो जैरकार है। रेस्पो0 1 ता 6 ने फर्जी एवं बनावटी व कूटरचित दस्तावेज गोदनामा तारीखी 21.02.1952 को आधार बनाकर माधोपुरी का दत्तक पुत्र रामनाथ को बताते हुए रामनाथ की मृत्यु माधोपुरी के जीवनकाल में हो जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.12.13 10:24:22 IST
Reason: SelfAttested